राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
जी 3/1ए, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की घोषणा संख्या 150 के क्रम में।
प्रसंग : यू.ओ. नोट क्रमांक 783-93 दिनांक 17.04.2018 के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक यू.ओ. नोट के क्रम में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की घोषणा संख्या 150 के तहत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित 97 विशेष विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का मानदेय बढ़ाये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की पालना में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161800379 दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से 50 प्रतिशत मानदेय की वृद्धि की सहमति उपरान्त निदेशालय आदेश क्रमांक 431 दिनांक 11.04.2018 जारी किया जा चुका है। अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

(अमिताभ कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक

यू.ओ. नोट क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./2018 1557
दिनांक :02/5/18

सहायक साख्यिंकी अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (3) निवियो/2018/ 5131

जयपुर, दिनांक : 11/4/18

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों हेतु संचालित विशेष आवासीय/गैर आवासीय विशेष विद्यालयों के कार्मिकों को देय प्रतिमाह अनुदान राशि में वृद्धि।

प्रसंग : पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 3722 दिनांक 25.01.2006, पत्रांक 30328 दिनांक 24.06.2006, पत्रांक 39181 दिनांक 21.07.2010 एवं पत्रांक 30368 दिनांक 08.04.2011

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित, मूक बधिर एवं दृष्टि बाधितों के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय हेतु निर्धारित मानदेय की दरों हेतु प्रासंगिक आदेशों से निम्नांकित मदों में मानदेय का निर्धारण किया गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर निदेशालय से अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय एवं गैर आवासीय विशेष विद्यालयों के निम्न कार्मिकों को देय प्रतिमाह अनुदान राशि/मानदेय की दरों में निम्नानुसार वृद्धि दिनांक 01.04.2018 से पूर्व शर्तो के अध्ययाधीन की जाती है :-

आवर्तक मद-A मानदेय

क्र.सं.	पद	वर्तमान दर (प्रतिमाह)	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दर (प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक	8200	12300
2	प्रशिक्षित विशेष शिक्षक	8000	12000
3	अप्रशिक्षित अध्यापक	3500	5250
4	वार्डन	4000	6000
5	लेखाकार कम लिपिक	4000	6000
6	स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलोजिस्ट/ फिजियो थेरापिस्ट/ ब्रेल-शिक्षक/ योग प्रशिक्षक/साईकॉलोजिस्ट/ चिकित्सक	4000	6000
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारिका	2500	3750
8	रसोईया	2500	3750
9	व्यावसायिक प्रशिक्षक	4000	6000
10	चौकीदार	2500	3750
11	स्वीपर (अंशकालीन)	2000	3000

आवर्तक मद-B (Recurring Amount)

क्र. सं.	पद	वर्तमान दर (प्रतिमाह)	दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी दर (प्रतिमाह)
1	वाहन भत्ता (दिवसीय छात्र/ छात्राओं हेतु)	100/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (ए-श्रेणी के शहरों मे) 75/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (बी-श्रेणी के शहरों मे) 50/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (सी-श्रेणी के शहरों मे)	150/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (ए-श्रेणी के शहरों मे) 113/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (बी-श्रेणी के शहरों मे) 75/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित (सी-श्रेणी के शहरों मे)
2	भवन किराया (विद्यालय भवन)	3000x12=36000 (ए-श्रेणी के शहरों मे) 2000x12=24000 (बी-श्रेणी के शहरों मे) 1500x12=18000 (सी-श्रेणी के शहरों मे)	4500x12=54000 (ए-श्रेणी के शहरों मे) 3000x12=36000 (बी-श्रेणी के शहरों मे) 2250x12=27000 (सी-श्रेणी के शहरों मे)

3	भवन किराया (छात्रावास भवन)	4000x12=48000 (ए–श्रेणी के शहरों में) 3000x12=36000 (बी–श्रेणी के शहरों में) 2000x12=24000 (सी–श्रेणी के शहरों में)	6000x12=72000 (ए–श्रेणी के शहरों में) 4500x12=54000 (बी–श्रेणी के शहरों में) 3000x12=36000 (सी–श्रेणी के शहरों में
4	लेखन एवं मुद्रण व्यय	10/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	15/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु
5	पानी एवं बिजली व्यय	10/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 12 माह हेतु	15/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 12 माह हेतु
6	पुस्तकें, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष पर	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	7.50/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु
7	खेलकूद, व्यायाम, शिक्षा एवं अन्य स्तर की गतिविधियाँ	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	7.50/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु
8	अन्य अनुमोदित गतिविधियाँ (आवश्यकता होने पर)	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	7.50/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु
9	विविध व्यय (कार्यालय व्यय, पोस्टज स्टेशनरी, एवं फुटकर व्यय)	एक मुश्त 5000/–वार्षिक	एक मुश्त 7500/–वार्षिक

1. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों को प्रतिमाह देय मानदेय का भुगतान उनके नाम से खुले बचत खाते में एवं अन्य भुगतान राशि रुपये 10 हजार से अधिक होने की स्थिति में ई.सी.एस./आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी/चैक के माध्यम से करना होगा। इसे अभाव में अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

नोट :-अन्य शर्ते एवं प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे।

पूर्व निर्धारित स्कीम/नॉर्म्स में यह वृद्धि आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 161800379 दिनांक 26.03.2018 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 11 (3) निविद्यो/2018/ 432-50
जयपुर, दिनांक : 11/4/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1 संयुक्त सचिव (पी.सी.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की घोषणा संख्या 150 की पालना में।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आई. डी. संख्या 161800379 दिनांक 26.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
5 निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
6 उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.......................
7 अध्यक्ष/मंत्री/सचिव,.......................
8 आदेश पत्रावली।

(अनुपमा जोरवाल)
निदेशक